न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, ओर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/124 **दायरा दिनांक : 01.11.2021**

उनवान

1 लटूर पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा, निवासी ग्राम उत्थी, तहसील व जिला बारां राज0 मृतक–
1/1 हुकमराज पुत्र श्री लटूर उम्र 40 वर्ष, जाति मीणा
1/2 प्रेमबाई उम्र 70 वर्ष पत्नि लटूर, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम उत्थी, तहसील व जिला बारां राज0
2 पुरूषोतम उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीणा
3 जानकी लाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीणा
4 लेखराज उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीणा
5 मुरलीधर उर्फ मुरारीलाल उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम उत्थी, तहसील व जिला बारां राज0
6 रामचरण पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा, निवासी ग्राम उत्थी, तहसील व जिला बारां राज0 मृतक–
6/1 अनोख बाई उम्र 45 वर्ष बेवा रामचरण, जाति मीणा
6/2 प्रमोद कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति मीणा
6/3 रामगोप उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम उत्थी, तहसील व जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1 छीतर लाल उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री गोविन्दा, जाति मीणा, निवासी लोलक्या, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2 धन्नालाल पुत्र श्री गोविन्दा, जाति मीणा, निवासी लोलक्या, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक –
2/1 लीलाधर पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
2/2 जीतू पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
2/3 लोकेश पुत्र पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
निवासीगण लोलक्या, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 28.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 78/2014 निर्णय दिनांक 28.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 दीवानी प्रकिया संहिता बाबत मन्सूख करवाने एकतरफा डिक्री पेश किया और यह कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2002 को अंतिम डिक्री व दिनांक 29.07.2002 प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है एवं इसमें दिनांक 28.05.2007 को संशोधित डिक्री आंशिक भी जारी की गई है जिसे मन्सूख करवाने के लिए प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। वाद में विवादित भूमियां ग्राम रेबारपुरा, तहसील बारां की खसरा नम्बर 2294, 2895, 2296, 2332 कुल 4 किता रकबा 4.55 हेक्टर है तथा ग्राम उत्थी, तहसील बारां की खसरा नम्बर 62, 63, 65, 129, 134, 135, 238 कुल 8 किता रकबा 4.31 हेक्टर है। इस प्रकार दोनों गांवों की भूमियां कुल 8.86 हेक्टर है। अधीनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2021 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2002 को अन्तिम डिक्री व दिनांक 29.07.2002 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई एवं उसमें दिनांक 28.05.2007 को संशोधित डिक्री आंशिक जारी की गई। उसे मंसुख कराने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 दी० प्र० सं० का पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर खारिज फरमा दिया, उसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। सम्बन्धित वाद में अपीलान्ट लटूर को कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा जैरकार होने की दी ही नहीं, उसको कोई सम्मन जारी नहीं किया गया। दिनांक 21.09.2001 की आदेशिका में यह लिख दिया कि लटूर बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। जबकि पत्रावली पर लटूर के नाम का कोई सम्मन शामिल पत्रावली ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा है कि दिनांक 21.09.2021 को आदेश लिखने के बाद प्रतिवादी क्रम 07 लटूर का सम्मन प्राप्त हुआ, चूंकि इस प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री व अन्तिम डिक्री दोनों जारी की गई है, क्योंकि मुकदमा धारा 53 व 188 आर. टी. एक्ट का था तथा जो धारा 53 आर. टी. एक्ट में अन्तिम डिक्री जारी की गई, वह भी एक तरफा जारी की गई है तथा पत्रावली के अन्दर जो पी. डब्ल्यू–1 छीतरलाल के बयान करवाये है उसमें प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–3 जमाबंदी ग्राम उत्थी व रेबारपुरा की प्रस्तुत की गई है। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 जमाबंदी रेबारपुरा व उत्थी की चालू जो पत्रावली में पेश है, उसमें अकेले मथुरालाल पुत्र श्री गोविन्दलाल मीणा का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है तथा इस प्रकरण में मथुरालाल को पक्षकार नहीं बनाया। जबकि इन जमाबंदियों में प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में ही नहीं है। फिर भी उनका बंटवारा कर दिया। इसी प्रकार प्रदर्श–2 जमाबंदी में मथुरालाल, छीत्या, धन्ना पुत्र गोविन्दा का नाम है, उसमें भी मथुरालाल को पक्षकार नहीं बनाया, फिर भी डिक्री जारी कर दी गई। यदि डिक्री व आदेश में कोई संशोधन होता है तो उसकी भी सूचना पक्षकारों को देना अनिवार्य है। इस नियम का भी अधीनस्थ न्यायालय ने पालन नहीं किया, जो आवश्यक था। इस प्रकरण में जो अपीलान्ट को सम्मन जारी किये हैं, उन सम्मनों में एक पर भी अपीलान्टगण की व्यक्तिगत तामील नहीं है तथा सभी सम्मनों पर खुले मकान पर चस्पा करने का अंकन है तथा उस पर गवाही भी उचित नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा है कि अपीलान्ट को डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिये था, किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपीलान्ट अपील ही करते, अपीलान्ट को आदेश 9 नियम 13 प्रार्थना पत्र पेश करने का विकल्प था इस कारण उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को अन्तिम डिक्री व प्रारंभिक डिक्री व संशोधित डिक्री तीनों को निरस्त करके अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर देना चाहिये था, किन्तु उन्होंने ऐसा न करके भारी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमाकर निर्णय दिनांक 28.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां प्रकरण संख्या 78/2014 बउनवान लटूर वगैरह बनाम छीतरलाल वगैरह निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्टगण को पुनः सुनवायी का अवसर दिया जाकर उनके साथ न्याय किया जावे।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

5 हमने बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया ।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व वाद संख्या 183/2001 में निर्णय पारित करते हुए दिनांक 29.07.2002 प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 31.10.2002 को अंतिम डिकी जारी की एवं अंतिम डिकी में संशोधन करते हुए दिनांक 28.05.2007 को संशोधित डिकी आंशिक जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलांट को

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील अपीलांट के ऊपर सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत नहीं करवायी गयी। सभी सम्मनों पर खुले मकान पर चस्पा करना बताते हुए तलबी होना की रिपोर्ट की गई है, जिस पर पहचानकर्ता गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। पक्षकारों पर सम्मन की तामील कराये बिना ही अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय व डिक्री पारित की, जो अवैधानिक होने से खारिज योग्य है। अपीलांट लटूर को अधीनस्थ न्यायलय द्वारा कोई सम्मन जारी नहीं किया गया इसके बावजूद दिनांक 21.09.2001 की आदेशिका में यह लिख दिया कि लटूर बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। जबकि पत्रावली पर लटूर के नाम का कोई सम्मन शामिल पत्रावली नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री में जो संशोधन किया उसकी सूचना पक्षकारों को नहीं दी गई।

7 अपीलांट द्वारा अपने विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में ऑर्डर 9 नियम 13 सी. पी. सी. का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसे अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा है कि अपीलांट को डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिए थी, किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपीलांट अपील ही करते। अपीलांट को आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश करने का विकल्प था इस कारण उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रारम्भिक डिक्री, अंतिम डिक्री व संशोधित डिक्री तीनों को निरस्त करके अपीलांट को सुनवायी का अवसर देना चाहिए था।

8 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. पर उभयपक्ष की सुनवायी करते हुए दिनांक 28.09.2021 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय का कथन है कि वाद में दिनांक 29.07.2002 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 31.10.2002 को अंतिम डिक्री एवं संशोधन दिनांक 28.05.2007 का किया गया। क्या प्रतिवादी को 12 साल बाद यह मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ दावा डिक्री हो गया, दौराने वाद प्रार्थी को वाद विचाराधीन होने का मालूम नहीं हुआ ? 12 साल बाद प्रार्थी को कैसे पता चला ? यदि प्रार्थी को जब निर्णय एवं डिक्री का पता चला तभी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा 12 साल बाद वाद पत्र में पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा विलम्ब के लिए अंकित कारणों को पर्याप्त नहीं मानते हुए लिमिटेशन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया।

9 प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु ऑर्डर 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी होने के बारह साल तक प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया ? इसका उचित व स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। प्रार्थी अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में केवल यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जो सम्मन जारी किये हैं उन सम्मनों की व्यक्तिगत तामील नहीं है, परन्तु अपने कथन की पुष्टि हेतु कोई रिकॉर्ड या दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी अपीलांट अपील में अंकित अपने कथनों को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं।

10 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 यथावत रखा जाता है । प्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में जारी प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा